



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224222
CG-DL-E-06012021-224222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]
No. 39]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/ PAUSHA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 जनवरी, 2021

का.आ. 39 (अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH-365A का कोडाद-खम्मम खंड के किमी 0 किमी से 10.100 किमी सूर्यपेट जिले का, के किमी 10.100 किमी से 31.800 किमी खम्मम जिले का तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में कोडाद-खम्मम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-365A तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	एडिशनल कलेक्टर खम्मम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-365A के कि.मी. 10.1 से 31.8 तक	तेलंगाना	खम्मम	खम्मम (रूरल)	1	काचीराजुगुडेम
						2	म.वेंकटायपालेम
						3	अरेकोदू
						4	मुथागुडेम
						5	एडुलपुराम
						6	मड्डूलापल्ले
						7	गुरालापाडु
						8	गुडीमल्ला
					मुदिगोंदा	1	मेडापल्ली
						2	गोकिनापल्ले
						3	वेंकटपुरम
						4	मुदिगोंडा
5	सुवार्नापुरम						
नेलकोंडपल्ली	1	गुव्वालागुडेम					
	2	नेलकोंडपल्ली					
	3	सिंगरेडुपालेम					
	4	आचार्लगुडेम					
	5	बोडुलाबंदा					
	6	पाइनमपल्ले					
2	एडिशनल कलेक्टर सूर्यपिट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-365A के कि.मी. 0 से 10.1 तक	तेलंगाना	सूर्यपिट	कोडेड	1	कोदडा
						2	थम्मरबंदपालेम
					अनंतगिरि	1	अनंतगिरि
						2	तिरुअन्नाराम

						3 लकमवाराम
--	--	--	--	--	--	------------

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/3a/2020]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2021

S.O. 39(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 10.100 of Suryapet District and Km. 10.1 to Km. 31.800 of Khammam District of NH-365A ,for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Kodad-Khammam section of NH-365A in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition of Kodad-Khammam Section of NH-365A in the State of TELANGANA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Collector, Khammam	10.1KM To 31.8KM	TELANGANA	KHAMMAM	Khammam (Rural)	1Kachirajugudem
						2M. Venkatayapalem
						3Arekodu
						4Muthagudem
						5Edulapuram
						6Maddulapally
						7Gurralapadu
						8Gudimalla
					Mudigonda	1Medepalli
						2Gokinepalli
						3Venkatapuram
						4Mudigonda
5Suvrnapuram						
Nelakondapalle	1Guvvalagudem					
	2Nelkondapally					
	3Singareddipalem					
	4Acharlagudem					
	5Bodulabanda					
	6Painampally					

2	Additional Collector, Suryapet	0KM To 10.1KM	TELANGANA	SURYAPET	Kodada	1 Kodad
						2 TammaraBandapallem
					Ananthagiri	1 Ananthagiri
						2 TiruAnnaram
						3 Lakmawaram

[F. No. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/3a/2020]

RAJESH GUPTA, Director